Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **पाली में नगर पालिका रानी का कार्मिक 4 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *18 अगस्त, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर पाली द्वितीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सुनील खींचड़ सफाई कर्मचारी (सहयोगकर्मी 69क पट्टा शाखा) नगर पालिका रानी, जिला पाली को परिवादी से **4 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की पाली द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके एवं उसकी माता के नाम से दो आवासीय मकानों के पट्टे जारी करने की एवज में सुनील खींचड़ सफाई कर्मचारी (सहयोगकर्मी 69क पट्टा शाखा) नगर पालिका रानी, जिला पाली द्वारा **5100 रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर** के सुपरवीजन में एसीबी पाली द्वितीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पारस सोनी** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री महेन्द्र कुमार** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये सुनील खींचड़ पुत्र श्री रामकिशन खींचड़ निवासी जयसिंह देशर मगरा, पुलिस थाना पांचू, जिला बीकानेर हाल सफाई कर्मचारी (सहयोगकर्मी 69क पट्टा शाखा) नगर पालिका रानी, जिला पाली को परिवादी से **4 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।